वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 475

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2170 दि. 2.2.09

आदेश

विषयः ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बंध मे पूर्व में जारी आदेशों में आशिक संशोधन हेतु।

"मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के लिये आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी. एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 326 दिनांक 03.05.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/435) एवं जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे.405 दिनांक 03.05.08 दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इनमें आंशिक संशोधन आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडंपी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 761 दिनांक 05.07.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/443), जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ.(पीपी एण्ड एम)/जो/फा. एस एण्ड आई/प्रे. 1471 दिनांक 13.08.08, जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी. एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 1003 दिनांक 06.08.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/446) जारी किये गये थे तथा आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडंपी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे.1286 दिनांक 16.09.08 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/449) द्वारा आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 अक्टूम्बर 2008 तक बढा दिया गया था। एक अन्य आदेश क्रमांक जो.डि./प्र.नि./मु.अ.(सी. एडं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/ फा/प्रे. 2003 दिनांक 06.01.09 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम/472) द्वारा आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 मार्च 2009 तक बढा दिया गया था।

इस सम्बंध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 29.07.08 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति में टी.एस.पी. क्षेत्र में आ रही कठिनाईयों को अवगत कराया गया। इस विषय में विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया एवम निर्णय की अनुपालना "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" में निम्नलिखित आंशिक संशोधन तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है।

1. T.S.P. क्षेत्र में 50 तक की आबादी वाले छितराये हुए आवेदको के लिये 3.0 कि.मी. (11 KV & LT Line) एवं 50 से 100 के बीच आबादी वाले आवेदको के लिये 5.0 कि.मी. (11 KV & LT Line) मय उचित क्षमता के सब स्टेशन स्थापित कर विद्युतीकरण विस्तार कार्य किया जावें।
2. राजस्थान में T.S.P. क्षेत्र में रह रहे छितराये हुए आवेदकों से प्रार्थना पत्र की राशि 200 रू. प्रति कनेक्शन ली जावे जो लौटायी नहीं जावेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रू. 3500/– प्रति आवेदक लिए जाने होते थे लेकिन T.S.P. क्षेत्र के ऐसे आवेदकों से यह राशि नहीं ली जावे। उक्त राशि लाभान्वित किये गये आवेदकों के आधार पर Tribunal Area Development Department द्वारा दी जाने पर ही यह बिन्दु संख्या 1 पर प्रस्तावित योजना लागू होगी।
3. T.S.P. क्षेत्र में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा अग्रिम आदेशों तक रहेगी।
4. T.S.P. क्षेत्र में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की अन्य सामान्य शर्ते यथावत प्रभावी रहेगी।

आज्ञा से

(एम.एस. फगेरिया)
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है ।